

Vol 4 Issue 3 Dec 2014

ISSN No : 2249-894X

*Monthly Multidisciplinary
Research Journal*

*Review Of
Research Journal*

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2249-894X

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Mabel Miao Center for China and Globalization, China
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Xiaohua Yang University of San Francisco, San Francisco	Ruth Wolf University Walla, Israel
Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Karina Xavier Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA	Jie Hao University of Sydney, Australia
Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	May Hongmei Gao Kennesaw State University, USA	Pei-Shan Kao Andrea University of Essex, United Kingdom
Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania	Marc Fetscherin Rollins College, USA	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Liu Chen Beijing Foreign Studies University, China	Ilie Pinte Spiru Haret University, Romania
Mahdi Moharrampour Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran	Nimita Khanna Director, Isara Institute of Management, New Delhi	Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai
Titus Pop PhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain
J. K. VIJAYAKUMAR King Abdullah University of Science & Technology, Saudi Arabia.	P. Malyadri Government Degree College, Tandur, A.P.	Jayashree Patil-Dake MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC), Kachiguda, Hyderabad
George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	S. D. Sindkhedkar PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]	Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.
REZA KAFIPOUR Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran	Anurag Misra DBS College, Kanpur	AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI, TN
Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur	C. D. Balaji Panimalar Engineering College, Chennai	V.MAHALAKSHMI Dean, Panimalar Engineering College
	Bhavana vivek patole PhD, Elphinstone college mumbai-32	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University
	Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust), Meerut (U.P.)	Kanwar Dinesh Singh Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org



मध्यप्रदेश में पंचायतीराज का उद्भव एवं विकास

जयन्ती पयासी

अतिथि विद्वान, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गाडरवारा (म.प्र.)

सारांश:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के लिये प्रथम पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से कांग्रेस ग्राम पंचायत समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की 19 जुलाई 1954 को जारी विज्ञापित में विभिन्न सुझावों में एक सुझाव यह भी दिया गया कि संविधान में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि ग्राम पंचायतों की संस्था द्वारा आर्थिक और राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण सुव्यवस्थित रूप से किया जाये।

मुख्य शब्द – मध्यप्रदेश, पंचायतीराज, उद्भव एवं विकास।

प्रस्तावना :-

भारत में स्वतंत्रोत्तर सरकार के गठन के पश्चात राष्ट्रीय सरकार का ध्यान मनुष्य के पिछड़े जीवन की ओर गया इसलिए सरकार का ध्यान आर्थिक व सामाजिक अवनति और स्थानीय स्वशासन की निष्क्रियता की ओर जाना स्वाभाविक था। उन दिनों हमारे देशवासी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन के प्रारंभ से ही ग्रामीण जीवन के पुनरुत्थान और प्रत्येक ग्राम को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया।

मध्यप्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति 21.6 उत्तरी अक्षांस से 26.54 उत्तरी अक्षांस तक तथा 74 पूर्वी देशांतर से 82.47 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका क्षेत्रफल 32372408 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। नर्मदा नदी लगभग समानांतर गुजरती है। यह प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश की सीमा देश के पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की सीमायें स्पर्श करती है। इन सीमाओं को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं मध्यप्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात व दक्षिण में महाराष्ट्र है।

विश्लेषण – देश में पंचायतीराज व्यवस्था को कोने-कोने तक पहुँचाया गया परन्तु उनके कार्यों की सफलता व उन्हें समृद्ध बनाने के प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रत्येक राज्यों में विकास के लिए पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया। कुछ राज्यों के पंचायतीराज व्यवस्था के स्वरूप इस प्रकार हैं –

पश्चिम बंगाल में पंचायत :-

चार स्तरों वाली पंचायत व्यवस्था थी। पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम 1957 के अनुसार – पश्चिम बंगाल में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या अंचल पंचायत तथा न्याय पंचायत की व्यवस्था थी। ग्राम सभा ग्राम के सभी लोगों को मिलाकर बनती है, जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम पंचायत अपने सदस्यों में से अंचल पंचायत के

सदस्यों को निर्वाचित करके भेजती थी। प्रायः यह प्रखंड या उससे कम स्तर पर होती थी। निचले अंचल पंचायत के सदस्य ग्राम सभा, के सदस्यों के बीच से न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते थे पर न्याय पंचायतें अभी तक ठीक ढंग से स्थापित न हो सकी। वे केवल कागजों तक ही सीमित रह गईं। सन् 1993 में पश्चिम बंगाल अधिनियम के प्रभावी होने पश्चात आंचलित परिषद तथा जिला परिषदों की स्थापना हुई। आंचलिक परिषदों ने कमशः अंचल पंचायतों को हटाकर पंचायत समिति का स्वरूप संविधान के नौवें अध्याय में भी दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में प्रारंभ में पंचायतें चार वर्ष के लिए चुनी जाती थी, अब अध्याय नौ के अनुसार उनकी अवधि बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई। पश्चिम बंगाल में सन् 1978 में पहलीबार पंचायतों के चुनाव कराये गये, उसके पश्चात वहाँ पंचायतों के निर्वाचन लगातार तथा नियमित हो रहे हैं, इस प्रकार जनता के हाँथों में काफी हद तक सत्ता तथा विकास के कार्य सौंपे गये। इस राज्य में पंचायत व्यवस्था की सफलता के दो मुख्य कारण रहे हैं :-

- (1) पंचायत समिति तथा जिला परिषद में निर्णय उन समितियों के माध्यम से लिये जाते हैं। इन निर्माणों में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। इस समितियों के अध्यक्ष को "कार्याध्यक्ष" कहा जाता है।
- (2) पंचायत के पदों पर स्थानीय शिक्षक गण होते हैं जो प्रायः शिक्षित तथा जागरूक व्यक्ति होते हैं इन कारणों से पंचायतों को अवैतनिक मगर शिक्षित नेतृत्व सहज ही प्राप्त हो जाता है जो आज कल अन्य किसी राज्य शासन प्रणाली के माध्यम से असंभव है। इस प्रकार राज्य के शासन में निम्नतम स्तर तक प्रजातंत्र की जड़ें जम चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की पंचायतों में भी प्रायः मध्यम वर्ग का प्रभाव रहा है, जो शिक्षक पंचायतों की व्यवस्था के केन्द्र हैं, वे वस्तुतः विद्यालयों में नहीं पढ़ाते क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय दो स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता। पंचायत का नेतृत्व इतना प्रभावशाली तथा क्षमता सम्पन्न हो गया है कि ग्रामों में उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पंचायतीराज का अर्थ यह नहीं है कि ग्रामीण जनता की भागीदारी तथा मौलिकता को नष्ट कर दिया जाय।

महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था :-

महाराष्ट्र भारत का एक समृद्ध राज्य है जिसमें शहरी क्षेत्र अन्य राज्यों से अधिक हैं किन्तु वहाँ पंचायतीराज संस्थाएँ काफी शक्तिशाली हैं वहाँ ये संस्थाएँ कई वर्षों से कार्यरत हैं। अब तो प्रशासन का अविभाज्य अंग बन चुकी हैं ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961 महाराष्ट्र में पंचायतों के स्वरूप के आधार स्तंभ हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद तथा पंचायत समितियों की स्थापना बी.पी. नाइक समिति की रिपोर्ट के बाद हुई। राज्य में प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना जिला समिति की रिपोर्ट के बाद हुई। राज्य स्तर में पंचायत समिति को जिला परिषद का ही एक प्रशासनिक अंग माना जाता था। राज्य में पंचायतीराज की त्रि-स्तरीय संरचना इस प्रकार है :- ग्राम पंचायत - पंचायत समिति - जिला परिषद। राज्य में विकास कार्यों की केन्द्र बिन्दु ग्राम पंचायत है। पंचायत समिति में सरपंचों का ग्राम पंचायतों से निर्धारित प्रतिनिधित्व है। जबकि जिला परिषद में पंचायत समिति के सभापति रहते हैं। जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं।

संरचना :-

- (1) जिला परिषद - में एक सदस्य 40 हजार से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रायः जिले की एक जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से 60 तक रहती है।
- (2) पंचायत समिति के सीधे निर्वाचन में अनुसूचित जाति तथा उपजाति का भी सम्यक प्रतिनिधित्व रहता है।
- (3) ग्राम पंचायत - में कम से कम सात तथा अधिक से अधिक पंद्रह सदस्य रहते हैं महिलाओं के लिये दो स्थान आरक्षित रहते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रहती हैं। संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।

डिस्ट्रिक्ट फंड :-

यह सुरक्षित निधि या कोष जिला परिषद का अपना स्वयं का कोष होता है। जिस पर परिषद के नियंत्रण में काफी स्वायत्ता दी गई है। उसमें जिला परिषद द्वारा उगाही गई आय और करों द्वारा प्राप्त धन राशि लिया गया ऋण तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान आदि सहायता सम्मिलित है। यह कोष किसी बैंक या सरकारी कोषागार में रखा जायेगा। आज कल एजेन्सी की भाँति किये कार्यों के कारण काफी धनराशि इस कोष में जमा होती है क्योंकि सभी विभाग नई-नई योजनाओं को जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। यद्यपि संविधान के भाग नौवें वित्तीय आयोग के गठन की अनिवार्यता के कारण स्वशासन वित्तीय आयोग को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है पर अन्य राज्यों को राज्य स्तर पर। इस प्रकार पंचायती संस्थाओं के स्वास्थ्य की देख-रेख करने के लिए राज्य स्तरीय पंचायतों की परिषद गठित करनी चाहिए ताकि पंचायती संस्थाएँ पूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को उँचा करने के लिए तेजी से कार्य कर सकें।

कर्नाटक का पंचायतीराज तंत्र :-

राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 1956 में हुई इस राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है इस राज्य के ग्रामों की संख्या लगभग 1000 है। कर्नाटक ग्राम पंचायत एवं स्थानीय बोर्ड अधिनियम 1959 के द्वारा कर्नाटक में तालुका विकास बोर्ड की स्थापना हुई तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। सन् 1985 में कर्नाटक पंचायतीराज अधिनियम द्वारा प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। कर्नाटक में निम्न स्तरों पर पंचायती संस्थाओं की व्यवस्था :-

ग्राम सभा मंडल पंचायत तालुका पंचायत जिला परिषद

ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम में निर्वाचक मंडल की संपूर्ण सभा है जो वर्ष में कम से कम दो चार सामान्य सभा आहुत करती हैं ताकि ग्राम सभा में किये गये कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

- (2) मंडल पंचायत :- यह पंचायतीराज की प्रथम निर्वाचित संस्था है। प्रत्येक चार सौ जनसंख्या के पीछे इसकी एक सीट रहती है। मंडल के अंतर्गत उन ग्रामों का समूह आता है जिनकी संख्या आठ हजार से बाहर होती है।
- (3) तालुका पंचायत समिति :- यह पूर्णतः नामांकित सदस्यों द्वारा बनी संस्था है। इसमें मंडल पंचायत के सभी प्रधान सभी विधायक तथा उस क्षेत्र के जिला पार्षद जिला परिषद द्वारा पांच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अथवा महिलाओं से नामांकित प्रतिनिधि तथा कुछ स्थानीय विकास संस्थाओं के अध्यक्ष रहते हैं।
- (4) जिला परिषद :- यह जिला स्तर पर निर्वाचित पंचायत संस्था है यह जिला स्तर पर विकास तथा कल्याणकारी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है। जिला परिषद जिला से चुने हुए प्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था है।
- (5) राज्य विकास परिषद :- राज्य के सर्वोच्च स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं राज्य के मुख्य मंत्री करते हैं। इसमें जिला परिषद के सभी अध्यक्ष छै राज्य मंत्री तथा विकास आयुक्त पदेन सदस्य व सचिव होते हैं यह परिषद कम से कम तीन मास में एक बार बैठक करती है तथा राज्य में पंचायत सदस्यों के कार्यों की समीक्षा करती है।

उत्तरप्रदेश में पंचायतों की स्थिति :-

उत्तर प्रदेश में पंचायत की व्यवस्था भी संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947 के अंतर्गत सर्वप्रथम लागू हुई यह अधिनियम सन 1950 और 1952, 1954 में संशोधित किया गया। ग्राम पंचायत एक हजार की जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम अथवा ग्राम समूह के लिए एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क उसके आजीवन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ही 'ग्राम पंचायत' कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ उपसमितियों का प्रावधान है तथा प्रधान तथा उपप्रधान को निरंकुश अधिकार नहीं हैं यह ग्राम स्तर पर प्रजातंत्र को बल देने वाली व्यवस्था है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के संपादन में सहायता पाने के लिए निम्नलिखित समितियों को गठित करेगी -

- (क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक हितों की उन्नति समता-समिति सुनिश्चित करेगी। यह समिति समन्वय का काम करेगी।
- (ख) कृषि उत्पादन पशु पालन ग्रामीण उद्योग और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कृत्यों के लिए विकास समिति।
- (ग) प्राथमिक शिक्षा की उन्नति और विकास से संबंधित कृत्यों के लिए ग्राम शिक्षा समिति।
- (घ) लोक स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण संबंधित कृत्यों और ग्राम पंचायत के अन्य कृत्यों के लिए लोकहित समिति।

न्याय पंचायत की अवधारणा :-

न्याय व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधार का एक अहम मुद्दा है। शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलने के कारण आज जनता में असंतोष है। इसलिए पंचायतीराज की व्यवस्था के पुनर्गठन के साथ-साथ न्याय पंचायतों का पुनर्गठन भी जरूरी है।

न्याय पंचायत का गठन :-

बलवंतराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है - " कई राज्यों में ग्राम पंचायत को कुछ फौजदारी और दीवानी मामलों में अदालती अधिकार दिये हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में पाँच सदस्य होंगे जो जिला अधिकारी द्वारा

जिलाधीश के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात ग्राम सभा सदस्यों के बीच से नामित किये जायेगे।

न्याय पंचायत की कार्यप्रणाली :-

न्याय पंचायतों में न्यायालयों की भांति साधारतया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 नहीं लागू होगा, पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उपयुक्त संहिता या अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था कर सकती है।

न्याय पंचायत के व्यय :-

इनके व्यय ग्राम निधि पर भारित होंगे। ये ग्राम निधि पर ऐसे अनुपात में भारित होंगे जो नियम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय। इस अधिनियम के आधीन विचारणीय वाद में न्यायालय फीस और जुर्माने के रूप वसूल की गई समस्त धन राशि राज्य सरकार के खाते में वसूल की गई धन राशि में से संबंधित ग्राम पंचायत को अनुदान रूप में 50 प्रतिशत से अधिक अंश प्रदान करेगी।

न्याय पंचायतों के स्थापना की अनिवार्यता :-

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामों में शांति व्यवस्था के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना अपरिहार्य है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी मंहगी एवं श्रम साध्य हो गयी है कि निर्धन एवं भोले-भाले ग्रामीणों के लिए इसके माध्यम से न्याय मिल पाना मुश्किल होता है, फिर गांवों में अधिकतर मामले छोटे-छोटे हैं। उनका निर्णय न होने से आपस में वैमनस्य बढ़ता है। इस प्रकार न्याय पंचायतों के माध्यम से हम आसानी से भारतीय न्याय व्यवस्था में अमेरिका जैसी जूरी प्रणाली विकसित कर सकते हैं ताकि साक्ष्य मिथ्या, झूठ पर आधारित न होकर सत्य पर आधारित हो। शनैः-शनैः ग्राम के अधिकतर राजस्व मामले भी न्याय पंचायतों द्वारा निपटाये जायें उपर्युक्त न्याय पंचायतों की अवधारणा एक आदर्श संहिता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व म.प्र. पंचायतीराज मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व पंचायतराज व्यवस्था सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार पंचायत अधिनियम सन् 1922 के अनुसार थी जो कि नये मध्यप्रदेश के पुनर्गठन तक चलती रही।

सी.पी. एण्ड बरार में पंचायतीराज :-

1922 के सेन्ट्रल एण्ड बरार पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान था कि ग्राम पंचायतों का प्रथम गठन पंचों के मनोनयन द्वारा हो न कि निर्वाचन द्वारा। बरार पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों की स्थापना के भी प्रावधान थे। आदिम जातियों के लिए उनकी अलग पंचायतों की स्थापना थी। न्याय पंचायतों का अस्तित्व भिन्न था किन्तु उसका निर्माण ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही होता था। 1948 में बरार और मध्य प्रान्त स्थानीय अधिनियम के द्वारा प्रांत की हर तहसील में जनपद सभाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार तहसील स्तर पर जनपद सभायें, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय प्रशासन हेतु न्याय पंचायतें आदिम जाति बहुल क्षेत्रों के लिए आदिम जाति पंचायतें एवं जिला स्तर पर परगना पंचायतों की व्यवस्था थी। नवीन मध्यप्रदेश की स्थापना के समय महाकौशल क्षेत्र में 6116 ग्राम पंचायतें, 802 न्याय पंचायतें आदिम जाति पंचायतें, 58 जनपद सभायें एवं परगना पंचायतें कार्यरत थी। पूर्व विंध्यप्रदेश एवं भोपाल राज्यों में भी ग्रामों में पंचायतों और न्याय पंचायतों का एक जाल सा बिछा हुआ था। विंध्यप्रदेश में एक पटवारी के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत व तीन पटवारियों के क्षेत्र में एक न्याय पंचायत कार्य कर रही थी। भोपाल क्षेत्र में पंचायतों का संगठन सर्वाधिक सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था। वहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन व्यापक रूप से किया गया था ताकि पंचायतों का विकास हो सके, इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की गई। भोपाल पंचायतीराज अधिनियम को केवल उन धाराओं को ही वर्गीकृत किया गया, जिनका संबंध पंचायतों की स्थापना से था।

पंचायतें प्रजातंत्र की रीढ़ मानी गई हैं। किसी भी लोकतंत्रीय शासन का ध्येय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना होता है ताकि शासन का संचालन समाज के कलश से न होकर उसकी नींव हो सके। भारतीय समाज व शासन के नींव के पत्थर ग्राम ही हैं, जिनके उपर हमारी समस्त अर्थव्यवस्था आधारित है यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात शासन का ध्यान गांवों के पुनर्निर्माण की ओर पहुँचा। भारतीय संविधान की सफलता व सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य के लोक शासन के आधार पर संगठित किये जाने के प्रयत्न किये गये।

मध्यप्रदेश में पंचायतीराज

मध्यभारत का क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अद्वितीय है 1 नवम्बर 1956 में गठित मध्य भारत का क्षेत्र मध्यप्रदेश बना। इतिहासकारों के अनुसार महाकौशल का भाग रामायण काल के आरण्य कांड का अंग था। यमुना से

गोदावरी का यह विस्त्रित भू-भाग राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या के आधीन था। मध्यप्रदेश ने आर्थिक दार्शनिक, साहित्यिक और कला संबंधी जीवन को पृष्ठ भूमि प्रदान की है। मध्यप्रदेश का एक विशाल भाग गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। काडफिसस प्रथम के नेतृत्व में मध्य एशिया के युराई कुशानों ने काबुल के अंतिम भारतीय युनानी राजा हदमे आस की सत्ता समाप्त कर दी। सम्राट कनिष्ठ जिन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था इस वंश के सबसे प्रतापी और विख्यात सम्राट थे। इस वंश के अंतिम सम्राट रुद्र सेन को गुप्त सम्राट, चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी में वध कर दिया और राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद तोरमाण के नेतृत्व में श्वेत हूणों ने इस क्षेत्र पर 500 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया। कालचक्र में मगध सम्राट बालादित्य और मध्य भारत के राजा यशोवर्धन ने 528 ईस्वी में हूणों को पराजित कर दिया। 11 वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण कारी पहले महमूद गजनवी और फिर मुहम्मदगौरी मध्यभारत में आये और इसका कुछ हिस्सा दिल्ली सल्तनत में मिल गया। बाद में यह मुगल साम्राज्य का भाग बना। मराठों के उत्थान के बाद यहाँ के बड़े क्षेत्र पर मराठों का प्रभुत्व रहा और बाद में छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया। मध्यकालीन इतिहास से मध्यप्रदेश की अनेक महिला शासकों ने भी यश प्राप्त किया। इसमें प्रमुख थी रानी अहिल्या बाई, महारानी होल्कर इन्दौर, महारानी कमलादेवी और रानी दुर्गावती।

पुराना म.प्र. में पंचायतीराज व्यवस्था :-

मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात पंचायतीराज व्यवस्था विद्यमान थी किन्तु व्यवस्था रियासतों में अलग-अलग थी एवं यह उन रियासतों के विधान के अनुसार लागू थी। प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात समय-समय पर केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी पंचायतीराज को सुस्थापित करने की दिशा में कदम उठाये गये।

मध्यभारत :-

मध्यभारत की स्थापना के पूर्व भी इस क्षेत्र की कई रियासतों में पंचायत प्रणाली प्रचलित थी। वर्ष 1929 से ही इन्दौर, ग्वालियर, एवं नरसिंहगढ़ में पंचायतें स्थापित की गई थी। ग्वालियर रियासत ग्राम पंचायतों, परगना बोर्ड तथा जिला बोर्ड की अत्यंत सुगठित व्यवस्था थी। इनकी कुल संख्या 1099 थी। मध्य भारत राज्य की स्थापना 28 मई 1948 को की गई थी। ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा संयुक्त प्रान्त को मिलाकर मध्य भारत राज्य की स्थापना की गई थी। पंचायत प्रणाली में समानता की दृष्टि से मध्य भारत में 17 जून 1949 के विधान क्रमांक 58 के आधार पर मध्य भारत पंचायत अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर मण्डल पंचायतों खण्ड स्तर पर केन्द्र पंचायतों एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। नये मध्यप्रदेश के निर्माण के समय मध्यभारत क्षेत्र में मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 के अन्तर्गत 4088 ग्राम पंचायतें 107 केन्द्र अधिनियम 16 मण्डल पंचायतें तथा 489 न्याय पंचायतें थीं।

विन्ध प्रदेश :-

1948 में विन्ध प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद 1949 में ग्राम पंचायत अध्यादेश के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। यह अध्यादेश 1951 से क्रियान्वित हुआ। विन्ध प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें एवं न्याय प्रशासन हेतु न्याय पंचायतें अस्तित्व में थीं। नये मध्यप्रदेश के गठन के समय विन्ध क्षेत्र में 585 न्याय पंचायतें एवं 1745 ग्राम पंचायतें विद्यमान थीं।

भोपाल :-

भोपाल राज्य में 1952 में भोपाल पंचायत राज एक्ट बना कर 1953 में क्रियान्वित किया गया। प्रयोग तौर पर प्रारम्भ में केवल 7 तहसीलों में ही पंचायतें स्थापित की गईं। इसके पश्चात् सभी स्थानों पर स्थापित हुईं। ग्राम सभा पंचों का निर्वाचन करती थी सरकार द्वारा पटेलों की नियुक्ति की जाती थी। भोपाल राज्य में न्याय पंचायतों के गठन का प्रावधान भी था, किन्तु न्याय पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। नवीन मध्यप्रदेश के निर्माण के समय क्षेत्रों में 507 ग्राम पंचायतें थीं।

सिरोज अनुविभाग :-

नये मध्यप्रदेश के गठन के पूर्व का सिरोज अनुविभाग राजस्थान राज्य का भाग था। 1948 में राजस्थान पंचायत अध्यादेश पारित हुआ इस अध्यादेश का उद्देश्य समूह पंचायत स्थापित करना था 1954 में राजस्थान पंचायत विधान लागू हुआ इस विधान के अनुसार तहसील स्तर पर तहसील पंचायतें एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था थी।

मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के समय सिरोज को मध्यप्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया उस समय वहाँ 13 ग्राम पंचायतें, 2 तहसील पंचायतें कार्यरत थीं इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय मध्यप्रदेश के 63175 ग्रामों में 12533 ग्राम पंचायतें, 1876 न्याय पंचायतें, 107 केन्द्र पंचायतें, दो तहसील पंचायत, 16 मंडल पंचायत, 17 परगना पंचायतें प्रत्येक अपने क्षेत्र के विधान के अनुसार कार्यरत थीं।

मध्यप्रदेश भोपाल में प्रथम पंचायत आम चुनाव 1952 :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात म.प्र. में स्थानीय शासन का नया युग प्रारम्भ हुआ। इस युग में नये दृष्टिकोण को अपनाकर ग्राम पंचायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। मध्यप्रदेश के ग्राम जीवन का सर्वांगीण विकास ग्राम पंचायतों के द्वारा की समझा जाने लगा। सन् 1948 अगस्त माह में प्रांतों की स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस में पं. नेहरू ने कहा था “स्थानीय शासन अच्छी लोकतंत्रीय व्यवस्था का आधार होता है और होना भी चाहिये। हमें कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि हम लोकतंत्र की अत्यंत उपर की व्यवस्था के बारे में ही सोचते हैं उनकी निचले अवस्था के बारे में नहीं लोकतंत्र को उपर की आवश्यकताओं में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि निचली अवस्था से ही उनका आधार दृढ़ न किया जाय।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नया संविधान लागू होने के बाद में सन 1952 में प्रथम पंचायत आम चुनाव मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में हुआ था। ग्रामीण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम प्रजामंडल सरकार ने पंचायतों की स्थापना की थी। किन्तु सामन्ती शासन व्यवस्था में ग्राम के चौपाल पर किसान का सरपंच बनाना संभव नहीं था। जागीरदारी व्यवस्था ने 7 हजार वर्ग किलोमीटर की इस रियासत को ग्रामीण विकास के सभी मुद्दों से पूरी तरह वंचित रखा। 1949 में रियासत के भारत संघ में सम्मिलित होने के बाद जब तीन वर्षों के लिए आयुक्त प्रणाली लागू की गई। केन्द्र सरकार के निर्देशन में भोपाल राज्य की बाहुल्य जनता को पहली बार राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हुआ। वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव भोपाल राज्य की शासन व्यवस्था जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में आई। विधानसभा के प्रथम सत्र में ही जागीरदारी उन्मूलन बिल तीव्र मत से स्वीकार हुआ था। राज्य में 597 जागीरदारी गांवों को खसरा, खतौनी में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप नवम्बर 1953 में ग्राम के स्वराज्य खातों को ठीक करने का काम पूरा कर लिया गया। 12 अधिकांश बड़े जागीरदारी गांवों को खसरा खतौनी में सम्मिलित किये जाने के कारण नवंबर 1953 में गांव के स्वराज्य खातों को ठीक करने का काम पूरा कर लिया गया। अधिकांश बड़े जागीरदारों ने मुआवजा राशि लेकर तथा शेष ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी भूमि को सीमांत कृषकों को दान कर दिया गया और अभूतपूर्व सफलता मिली।

राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रविशंकर शुक्ला के समय विधान में वर्ष 1953 जागीरदारी समाप्ति का बिल सदन में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डॉ. शुक्ला ने कहा था – “भारत जैसे कृषि प्रधान देश में करोड़ों ग्रामवासियों को सत्ता का भागीदार बनाये बगैर सच्चे लोकतंत्र की कल्पना सार्थक नहीं होगी। “राज्य में विभिन्न पंचायत राज्य संचालन की स्थापना की गई थी। पंचायतीराज की स्थापना के कार्यों को दो चरणों में पूरा किया गया। 1954 में राज्य की सात तहसीलों में और 1955 फरवरी मार्च में शेष सात तहसीलों में चुनाव कराये गये। चुनाव के आधार पर 8722 ग्रामीण सदस्यों का चयन हुआ था जिनमें 505 प्रधान तथा 505 उपप्रधान जीतकर आये थे। लगभग दस हजार व्यक्तियों ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिये आवेदन पत्र चुनाव अधिकार के समक्ष प्रस्तुत किये थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर पंचायत चुनाव में सम्पूर्ण भोपाल राज्य में 507 चुनाव केन्द्र स्थापित किये गये थे।

निष्कर्ष –

अतः नये संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह स्वीकार किया गया है— राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो मोर्चों पर कार्य करना आरम्भ किया गया। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी संख्या 123670 तक पहुँच गई और देश के आधे से अधिक गाँव इनकी परिधि में आ गये दूसरी योजना के अंत तक एक भी गाँव बिना पंचायत के न रहेगा, ऐसी आशा व्यक्त की गई किन्तु संख्या के साथ उनके गुणों में कोई वृद्धि नहीं हुई। योजना जॉच समिति का कहना है कि 10 प्रतिशत से अधिक पंचायतों का कार्य पूर्ण रूप से संतोष जनक है कुछ ग्राम पंचायतों की स्थिति सामान्य है, और 40 प्रतिशत ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है।

संदर्भ –

1. “स्टेटिकल एबस्ट्रेक्ट ऑफ मध्यप्रदेश ” 1961—62 पृष्ठ 236
2. ‘मध्यप्रदेश संदेश’ 30 अप्रैल से 15 मई 1994 पृष्ठ 19

3. महेश्वरी श्रीराम – भारत में स्थानीय शासन ओरियन्ट लॉगमेन लिमिटेड नई दिल्ली 1974 पृष्ठ 125
4. सिसोदिया डॉ. यतीन्द्र सिंह 'मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, प्रथम संस्करण 2001
5. अल्तेकर ए. एस. – " प्राचीन भारतीय शासन पद्धति "
6. भार्गव बी.एस. – 'पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स' आशीष पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली सन् 1979 पृष्ठ 27
7. अवस्थी, ए. – लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन मध्यप्रदेश, वेस्टर्न बुक डिपो नागपुर सन् 1950 पृष्ठ 61, 92
8. 'भारतीय सविधान अनुच्छेद' 40 पृष्ठ 15
9. सकसेना आर. सी. एवं माथुर पी. सी. – " लोक वित्त " प्रकाशन गोयल पब्लिकेशन मेरठ 1981 पृष्ठ 660
10. मुखर्जी आर.के. – " एनसियेंट इंडिया " प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास नई दिल्ली सन् 1967 पृष्ठ 57
11. सिसोदिया डॉ. यतीन्द्र सिंह 'मध्यप्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, प्रथम संस्करण 2001 पृष्ठ 20, 21
12. शर्मा, शशिप्रकाश – पंचायतीराज : ग्रामीण समस्याओं का समाधान, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रकाशन नई दिल्ली 2009 पृष्ठ 17
13. डॉ. महिपाल – 'पंचायतीराज अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन नई दिल्ली 1996 पृष्ठ – 38–42
14. जायसवाल के.पी. – हिन्दु पालिटी, दि बैंगलौर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमि. बैंगलौर 1967 पृष्ठ 22
15. अवस्थी आनन्द प्रकाश – 'मध्यप्रदेश में स्थानीय शासन', कॉलेज बुक डिपो जयपुर सन् 1962 पृष्ठ 61, 92

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Books Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ Directory Of Research Journal Indexing
- ★ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org